फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

खरता राम बनाम गोमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 190 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुं. भागसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 LR राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/10/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	1615 27/9/16
26/10/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील ज्ञाप तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जी खेदपर डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/12/16 को पेश हो।	
21/12/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जो सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी के अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेवम स्थापित किये जाने जरूरी है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नेवमबन्दी आदेश फरमाया जावे। अत: प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेवमबन्दी मौके पर शुल्क जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो/ दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2016/439 दिनांक:– 21/12/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खरताराम पुत्र मगाराम वगैरा 5 जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. गोमाराम पुत्र जीयाराम वगैरा 40 जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, खारड़ा भारतसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 190/16

आदेश

खसरा नं. 161, 165, 315/162, 123, 176 रकबा क्रमशः 00.04 बीघा, 24.14 बीघा, 72.15 बीघा, 122.13 बीघा, 04.03 बीघा मौजा हनुमानपुरा पटवार मण्डल खारड़ा भारतसिंह भू अभिलेख वृत परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2016/440–44 दिनांक:–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खरताराम पुत्र मगाराम वगैरा 5।
4. विप्रार्थी गोमाराम पुत्र जीयाराम वगैरा 40।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned with CamScanner